उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्या–899(3)/79–6–2014
लखनऊः दिनांकः 4 अगस्त, 2014

कार्यालय ज्ञाप

निःशुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बी0एड0, एल0टी0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, बी0पी0एड0, बाम्बे आदि, शिक्षा विसारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद व (डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय वाराणसी), शिक्षा प्रवेशिका व शिक्षा अंलकार (राष्ट्रीय पात्रचार संस्थान साकेत नगर, कानपुर) आदि प्रशिक्षित एवं उच्चीकृत वेतनमान प्राप्त प्रधानाध्यापकों को सहायक अध्यापकों की भांति बी0टी0सी0 प्रशिक्षण/विशिष्ट बी0टी0सी प्रशिक्षण/बी0टी0सी0प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने हेतु उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 7620(एस0एस0)/2013 योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into the merits of the case, the present writ petition is disposed of finally with liberty to the petitioner-association to raise his grievance by submitting fresh representation within 15 days from today before the Principal Secretary, Basic Education Department, U.P., Lucknow (opposite party no. 2) along with a certified copy of this order. If any representation is made by the petitioner within the aforesaid period, the same will be considered and decided by the the Principal Secretary, Basic Education Department, U.P., Lucknow (opposite party no. 2) in accordance with law within a period of three months thereaftet.

3– उल्लेखनीय है कि उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 के अनुपालन के दृष्टिगत याची द्वारा अवमानना याचिका सं0 972(सी0)/2014 योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2014 का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

On due consideration this Court prima-facie finds that it is a case of non compliance of the order dated 18.12.2013 passed by the Court.

Let a notice be issued to opposite party returnable at an early date, to show cause as to why action may not be taken against him under the provisions of Contempt of Courts Act for violation of the

Court's order dated 18.12.2013 passed in Writ Petition No. 7620 (SS) of 2013 (U.P. Ashaskiya Sahayata Prapt Vidyalaya Shikshak Association vs State of U.P. and others).

4— अवमानना याचिका सं0 972(सी0)/2014 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2014 के दृष्टिगत याची के प्रत्यावेदन दिनांक 17.01.2014 के निस्तारण हेतु दिनांक 24.07.2014 को आयोजित बैठक जिसमें याची (श्री पूर्णमासीदीन प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन) एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में हुई चर्चा/विचार—विमर्श के कम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 01.08.2014 में लिया गया निर्णय निम्नवत है:—

"समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक की भाँति अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के तहत 6 माह का विशेष प्रशिक्षण कराया जाना होगा तथा प्रश्नगत विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण मुक्ति नहीं दी जायेगी। इस हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों, जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है, का पूर्ण विवरण उनकी शैक्षिक योग्यता आदि निदेशक एस0सी0ई0आर0टी को उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में यह भी मत स्थिर हुआ कि पूर्व में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13.08.2012 में लिए गये निर्णय की भाँति उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।"

तदनुसार रिट याचिका सं0 7620(एस0एस0)/2013 उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 के अनुपालन में प्राप्त याची के प्रत्यावेदन दिनांक 17.01.2014 को एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
2— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
3— निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
5— श्री पूर्णमासीदीन प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोशिएशन, अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, बडी लालकुर्ती कैन्ट लखनऊ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

0-14